

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : चि.प्र./निरीक्षक/2024/27

दिनांक : 05.02.2024

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक वि.भा.सं.या/2023/671 दिनांक 16.12.2023 के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) की मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर से जिला प्रभारी मनोनीत किये गये थे। वर्तमान में सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों की सघन मॉनिटरिंग की जा रही है।

अतः विकसित भारत संकल्प यात्रा (VBSY) के जिला प्रभारी अधिकारियों को 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिये निर्देशों हेतु भी जिलों के प्रभारी अधिकारी मनोनीत किया जाता है। जिला प्रभारी उन्हें आवंटित जिलों से समन्वय स्थापित कर विभागीय 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं पालना की मॉनिटरिंग कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

नोट :- निदेशालय के आदेश क्रमांक वि.भा.सं.या/2023/671 दिनांक 16.12.2023 की निरन्तरता में डॉ. पुरुषोत्तम सोनी के अवकाश पर होने के कारण उनके स्थान पर डॉ. विजयलक्ष्मी गोदारा, राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी को जिला अधिकारी प्रभारी, चित्तौड़गढ़ लगाया जाता है।

संलग्न :- 100 दिवसीय कार्ययोजना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये निर्देश।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(५)

(डॉ. रवि प्रकाश माधुर)

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर

दिनांक : 05.02.2024

क्रमांक : चि.प्र./निरीक्षक/2024/27

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चि० स्वा० एवं प० क० विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (RSHAA)
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक (RMSCL)
5. निजी सहायक, आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियन्त्रक, मुख्यालय।
6. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच/एड्स), मुख्यालय।
7. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन, राजस्थान।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय साईट पर अपलोड करावे।
12. रक्षित पत्रावली।

(५)

निदेशक (जन स्वा०)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज० जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर राजस्थान

क्र.सं. वि.भा.स.ग./2023/ 671

दिनांक 16.12.2023

आदेश

विकेंद्रित भारत सर्वकल्य यंत्रणा (VBSY) का प्रारम्भ दिनांक 17.12.2023 से राजस्थान में किया जा रहा है। इस हेतु निम्न अधिकारियों को निम्नानुसार जिला प्रभारी मनोनित किया जाता है:-

क्र.सं.	जिला	जिला अधिकारी प्रभारी	पद नाम	मोबाईल नम्बर
1.	अजमेर	डॉ. देवेश्वर देव,	एसएनओ, एनयूएचएम	9413902460
2.	ब्यावर			
3.	बीकानेर	श्री राजाराम शर्मा	औषधी नियंत्रक	9829401014
4.	पाली	डॉ. अनिल शर्मा	आरएसएचएए	9636465888
5.	बासवाडा	डॉ. अनुराग शर्मा	आरएसएचएए	9549815454
6.	भरतपुर	डॉ. राजेश शर्मा	जे.डी., एचए, मु०	9460525632
7.	डींग			
8.	कोटा	श्री अजय पाठक	औषधी नियंत्रक	9414355650
9.	जयपुर ग्रामीण	डॉ. प्रवीण असवाल	एसएनओ, आईडीएसपी	9549896666
10.	दुदु			
11.	जयपुर शहर	डॉ. नरोत्तम शर्मा	उपनिदेशक योजना	9828321638
12.	कोटपुतली बहरोड			
13.	जोधपुर	डा. कमलेश वाधवा	जे.डी., एनजी	
14.	जोधपुर ग्रामीण			
15.	फलोदी			
16.	ढोका	डॉ. रामबाबू जायसवाल	एसएनओ, एमएनडीवाई	8005802585
17.	कंकडी			
18.	हनुमानगढ़	डॉ. मुकेश डीग्रवाल	पी.डी., आरबीएसके	9928084789
19.	श्रीगंगानगर	डॉ. दिनेश पारीक	सीएमआईएस	9829240274
20.	अनूपगढ़			
21.	उदयपुर	डॉ. रोहित मीना	आरएमएससीएल	9413343519
22.	सलगढ			
23.	सीकर	डॉ. अजय चौधरी	जे.डी., जयपुर	9414053000
24.	नीम का थाना			
25.	नागौर	डॉ. राजेश जादू	आरएसएचएए	9829090060
26.	डीडवाना-कुचामन			
27.	जालोर	डॉ. वरुण चदेलिया	आरएसएचएए	9460985797
28.	धौलपुर	डॉ. शकर लाल गुप्ता	एसएनओ, एचआर	9829198975
29.	बारा	डॉ. संजय सक्सेना	जे.डी., एनजी	

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5191664



Digitally signed by Jitendra Kumar
Soni
Designation : Mission Director
Date: 2023.12.15 20:00:17 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायति सज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RSHAA
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रवर्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
6. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य एवं औषधी नियंत्रक, मुख्यालय।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा./आरसीएच/एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. संबंधित अधिकारियों को पालनार्थ।
11. स्टोर अधिकारी प्रभारी, एनएचएम को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों को वाहन आवंटित नहीं है उनको जिले में भ्रमण के समय वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
12. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि राज्य स्तरीय प्रभारियों हेतु ठहरने व खान-पान की व्यवस्था एवं राजकीय आवंटित वाहन उपयोग नहीं करने की स्थिति में जिला भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावे।
14. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए संबंधित को मेल कराना सुनिश्चित करावे।
15. रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक (एनएचएम)
जयपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref
5191664

Digitally signed by Jitendra Kumar
Soni
Designation : Mission Director
Date: 2023.12.15 20:00:17 IST
Reason: Approved

क्र.सं.	जिला	जिला अधिकारी प्रभारी	पद नाम	मोबाईल नम्बर
30.	सिराही	डॉ. एम.एल. सालोदिया	उपनिदेशक, प.क.	9414926539
31.	साधौर			
32.	बूढी	डॉ. उमेश खन्ना,	एसएनओ, आईडीडी	9588021174
33.	प्रतापगढ़	डॉ. महेन्द्र शर्मा	एसएनओ, एनएमएचपी	9530004918
34.	दौसा	डॉ. सुभाष खोलिया	जे.डी. (वीवीआईपी)	9588871038
35.	अलवर	डॉ. यदुराज	डिप्टी, जोन जयपुर	9887232090
36.	खैरथल -तिजारा			
37.	वाडमेर	डॉ. सुआ लाल	एसएनओ, आईएचपी	9413527825
38.	बालोतरा			
39.	जैसलमेर	डॉ. प्रदीप चौधरी	पी.डी. (सीएच)	9782602882
40.	राजसमंद	डॉ. तरुण चौधरी,	पीडी एमएच	7733000888
41.	चित्तौड़गढ़	डॉ. पुरुषोत्तम सोनी,	एनटीईपी	9414356320
42.	डुंगरपुर	डॉ. केसरी सिंह,	एसएनओ, एमएनजेवाई	9461208121
43.	झुंझुनू	डॉ. एस. एन. धौलपुरिया	जैसी- फूड एण्ड ड्रग्स	9414083474
44.	भीलवाडा	डॉ. रघुराज सिंह,	पीडी-टीकाकरण	9460963372
45.	शाहपुरा			
46.	करौली	डॉ. विरेन्द्र सिंह	उपनिदेशक, एनजी	
47.	सवाईमाधोपुर	डॉ. सुनील सिंह,	एसएनओ (एनपीसीबी)	9571771225
48.	गगापुर सिटी			
49.	झालावाड	डॉ. अभिनव अग्रवाल	एसएनओ, एमएच	9680563287
50.	चुरू	डॉ. देवेन्द्र सोधी	एसएनओ, टीकाकरण	9413369038

उक्त जिला प्रभारी अधिकारियों द्वारा जिलों से प्रतिदिन समन्वय स्थापित कर VBSY के संबंध में की जाने वाली गतिविधियां निम्नानुसार है:-

1. विभागीय परिपत्र क्रमांक 1443 दिनांक 07.12.2023 में जारी दिशानिर्देश के अनुसार VBSY से संबंधित जिले के मास्टर प्लान से मुख्यालय को अवगत कराना।
2. कैम्प का रूट चार्ट, डे-नोडल ऑफिसर की सूचना ली जाए तथा कैम्प के उपरान्त डे-नोडल ऑफिसर से सम्पर्क कर कैम्प में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में फीडबैक लिया जाए तथा उनकी सूचना VBSY पोर्टल एवं कार्यक्रमों के संबंधित पोर्टल पर इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।
3. राज्य स्तर से निर्देश के उपरान्त संबंधित जिलों में उक्त कैम्प की क्रियान्विति की भ्रमण किया जाए।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक (एनएचएम)
जयपुर

Signature Not-Verified

RajKaj Ref
5191664

Digitally signed by Jiteendra Kumar
Soni
Designation : Mission Director
Date: 2023.12.15 20:00:17 IST
Reason: Approved

100 दिवसीय कार्य योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

गतिविधि विवरण	नोडल अधिकारी	वर्तमान स्थिति
<p>1. सभी जिला चिकित्सालयों में कार्यरत एवं स्थापित की जाने वाली वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाईयां स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो तथा वृद्धजनों को उनकी आवश्यकतानुसार उपचार की उपलब्धता हेतु किम्बानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाईयां अलग से स्थापित की जाये अथवा वर्तमान वाडों में ही इस हेतु अलग से स्थान/शैया निर्धारित किये जायें। • इन इकाईयों में वृद्धजनों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हो तथा आवश्यक सविधायें उनके अनुसार स्याम हो, यह सुनिश्चित किया जाये। • इन इकाईयों हेतु नोडल अधिकारी/स्टॉफ नियुक्त किये जायें, जिनके द्वारा नियमित रूप से वृद्ध सेवियों की देखभाल की जाये। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir. (PH) • SNO (NPHCE) 	
<p>2. मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती समस्या को देखते हुए युवाओं व अन्य लक्षित समूहों के लिए काउंसलिंग/हेल्पलाइन सर्विस को सुदृढ़ किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD(NHM) ➤ CME ➤ Dir(PH) • SNO-NMHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Dir(PH) will review
<p>3. मानसिक सेवियों की देखभाल प्रभावी, सेवाभाव से एवं पूर्ण संवेदनशीलता से हो तथा इसमें अच्छा काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग दिया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir(PH) • SNO-NMHP 	
<p>4. विभाग की 100 दिन की कार्य-योजना में "State Medical Health Council" के गठन का कार्य सम्मिलित किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir(PH) • SNO-NMHP 	<ul style="list-style-type: none"> • Put up the file

<p>5. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में डायलिसिस मशीनें स्थापित किये जाने के कार्य में निजी सरकारी भागीदारी (पीपीपी) मोड का उपयोग किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir(PH) • SNO-Dialysis 	<ul style="list-style-type: none"> • Put up the file
<p>6. सभी राजकीय चिकित्सालयों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जाये तथा इसकी सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों/Artificial Intelligence के माध्यम से सतत निगरानी की जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir(PH) • ADHA • SNO-QA 	<ul style="list-style-type: none"> • आंध्रप्रदेश से मॉडल मंगावना है। • डी.जी.एच.एस को लैटर लिखना है। • आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज मॉडल लागू करें।
<p>7. समस्त जिला कलेक्टर्स द्वारा जिले के मुख्य चिकित्सालय/चिकित्सालयों का सप्ताह में 1 बार औचक निरीक्षण किया जाये। साथ ही अति० जिला कलेक्टर्स/ उप खण्ड अधिकारियों द्वारा भी राजकीय चिकित्सालयों का सप्ताह में 1 बार औचक निरीक्षण किया जाये। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण हेतु 1 डैकलिस्ट बनाकर अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CME ➤ Dir(PH) • ADHA 	
<p>8. जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण किया जावे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir(PH) • AD Gazetted 	<ul style="list-style-type: none"> • आज आदेश जारी करना है। • संयुक्त निदेशक स्तर पर रिपोर्ट का संकलन करना है।
<p>9. विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले स्वास्थ्य भेदों में उपलब्ध कराई जाने वाली नि:शुल्क दवा एवं जांच का प्रचार-प्रसार किया जाये तथा भेदों के दौरान गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को उच्च संस्थानों में रेफर किया जाता है, तो उनके उपचार का फॉलोअप किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD(NHM) • PD HWC • SNO NCD 	<ul style="list-style-type: none"> • आज आदेश जारी करना है। • निरीक्षण करना है।
<p>10. विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान रोगियों की जो जांचे नहीं होती है, उनकी जांचे उच्चतर चिकित्सा संस्थानों में किये जाने की व्यवस्था की जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD(NHM) • PD HWC ➤ CME ➤ Dir(PH) • ADHA 	
<p>11. शहरी आयुष्मान आरोग्य मंत्रि हेतु वर्तमान में स्वीकृत कार्मिकों की संख्या की समीक्षा कर इन्हें कार्यभार के अनुसार पुनः नियुक्ति करे।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD(NHM) • PD HWC 	<ul style="list-style-type: none"> • आज फाईल एम.डी. एन एच एम द्वारा भेजी जायेगी।

<p>1.2. सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोला जाये। नये प्रारंभ किये जाने वाले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों का शुभारंभ जन प्रतिनिधियों से कराया जाये तथा इनका पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये। सभी जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध प्रमुख दवाइयों की सूची व उनके समक्ष इन दवाइयों के बाजार भाव व जन औषधि केन्द्रों की दरों का तुलनात्मक विवरण अंकित कर प्रदर्शित किया जाये।</p>	<p>➤ CFS</p> <ul style="list-style-type: none"> • DC Drug controller 	<ul style="list-style-type: none"> • अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
<p>1.3. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने एवं विचारण हेतु हेल्पलाईन (181) की व्यवस्था की जाये।</p>	<p>➤ CFS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drug controller 	<ul style="list-style-type: none"> • अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। • IEC plan प्रस्तुत करें।
<p>1.4. नशीली दवाइयों की आपूर्ति एवं विक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाये। औषधि निरीक्षक इसका नियमित रूप से निरीक्षण करे। दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये।</p>	<p>➤ CFS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drug controller 	<ul style="list-style-type: none"> • अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है • Action plan प्रस्तुत करें।
<p>1.5. राज्य के बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले में अवैध नशीली दवाइयों की विक्री रोकने के लिए सघन निगरानी सुनिश्चित की जाये। राज्य स्तर से भी दल भेजकर औषधि निरीक्षण कराया जाए।</p>	<p>➤ CFS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drug controller 	
<p>1.6. नशा मुक्ति के लिए चिकित्सा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन विषय विशेषज्ञों का सहयोग लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। राज्य में आवश्यकतानुसार नशा मुक्ति/परामर्श केन्द्र भी संचालित किये जाये।</p>	<p>➤ CFS</p> <p>➤ Dir(PH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNO NMHP 	<ul style="list-style-type: none"> • समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं पुलिस विभाग के साथ दिनांक 04.02.2024 को सांघ 04 बजे बैठक का आयोजन किया जाना है।
<p>1.7. खुले में बिकने वाली खाद्य सामग्रियों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का ध्यान रखने हेतु लोगों को जागरूक किया जाये।</p>	<p>➤ CFS</p>	
<p>1.8. विभिन्न चिकित्सालयों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स एवं इनसे ऑक्सीजन आपूर्ति की वास्तविकता की जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।</p>	<p>➤ Dir(PH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADHA • SNO IM 	<ul style="list-style-type: none"> • दिनांक 25.01.2024 को दोपहर 12 बजे बैठक का आयोजन RMCL/JDA/LSG के साथ किया जाना है।

<p>19. 100 दिन की कार्य-योजना में प्रस्तावित विभिन्न तरह के उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध रूप से विक्रित्वा संस्थानों को आपूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये इन मशीनों/उपकरणों के संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हों।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD(NHM) ➤ MD RMSCL ➤ CME ➤ Dir PH 	<ul style="list-style-type: none"> • MD(NHM) एवं MD (RMSCL) द्वारा चैकलिस्ट तैयार की जानी है।? • Dir PH द्वारा फॉर्मेट सर्कुलेट, equipment स्टेटस एवं functional report तैयार कर भेजना है।
<p>20. 100 दिन की कार्य-योजना में विभिन्न विक्रित्वा संस्थानों को आपूर्ति किये जाने वाले नवीन फोम भैट्रेस की प्रस्तावित संख्या को 13,000 से बढ़ाकर 20,000 की जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD RMSCL ➤ Dir PH 	
<p>21. राजकीय विक्रित्वालयों में उपलब्ध विभिन्न जांच मशीनों के खराब हो जाने के कारणों एवं इनके ठीक होने में लगने वाले समय की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD RMSCL ➤ ADHA • SNO IM 	<ul style="list-style-type: none"> • ई. उपकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
<p>22. जिन विक्रित्वालयों/क्षेत्रों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है, उन जगहों पर उत्तर-प्रदेश की तर्ज पर गर्भवती महिलाओं की जांच एक निश्चित राशि के वाउचर के माध्यम से करने हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir PH ➤ Dir RCH • PD MNJY 	<ul style="list-style-type: none"> • Need Assessment करना है। • SOP बनानी है। • ACS(Finance) को यू.ओ. नोट भेजना है।
<p>23. सभी जिला कलक्टरों से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं की सूची प्राप्त की जाये तथा इन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में अधिकाधिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किये जायें।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CME ➤ Dir PH ➤ Dir AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> • सभी जिला कलक्टर को पत्राचार करना है। • मास्टर कॉपी तैयार करनी है।
<p>24. सभी स्त्रीरुक्क स्वतंत्र करने वाले व्यक्तियों की क्षेत्रवार सूचियां तैयार कर संबंधित विक्रित्वालयों में उपलब्ध कराया जाने का कार्य विभाग की 100 दिन की कार्य-योजना में सम्मिलित किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dir PH ➤ Dir AIDS • SNO Blood cell 	

<p>25. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD NHM • PD RBSK 	
<p>26. 100 दिन की कार्य-योजना में चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर रोगियों की पहचान/स्क्रीनिंग के लक्ष्यों के साथ आयुष्मान आरोग्य मंत्रियों द्वारा की जाने वाली स्क्रीनिंग की संख्या को भी जोड़ा जाये।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ MD NHM ➤ CME ➤ Dir PH • SNO NCD 	
<p>27. वल चिकित्सा इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में 1 या 2 बार प्रत्येक पंचायत पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्थाई व्यवस्था किये जाने के लिये विभाग कार्य-योजना तैयार कर एवं आवश्यक संसाधनों का आंकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AMD NHM ➤ Dir PH • SNO IAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Day wise program तैयार करना है। • IEC करवानी है। • जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना है।
<p>28. राजसेस अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राचार्यों की विद्युत्तियां शीघ्र की जाये तथा चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अचिलब प्रारंभ कर समतलबद्ध रूप से पूर्ण करे।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ CME 	

100 दिवसीय कार्य योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्र. सं.	गतिविधि विवरण	नोडल अधिकारी	वर्तमान स्थिति
1	वर्तमान में 21 जिला चिकित्सालयों में कार्यरत वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई की तर्ज पर शेष 28 जिला चिकित्सालयों में भी जिरियाट्रिक वार्ड प्रारम्भ कर सेवाएं दी जाएगी।		
2	वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक की सुविधा 27 जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है। शेष 22 जिला चिकित्सालयों में भी उक्त सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।		
3	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ज्वालिसिस कार्यक्रम (वन डिस्ट्रिक्ट- वन ज्वालिसिस केन्द्र) के अंतर्गत वर्तमान में 34 जिलों में उपलब्ध ज्वालिसिस सुविधा की तर्ज पर शेष 16 जिलों में उक्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।		
4	आयुष्मान भव के तहत समस्त क्रियाशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र) में प्रत्येक शनिवार एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रत्येक बुधवार को 75000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा।		
5	15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
6	65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		

7	175 उपरवास्थ्य केन्द्र के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
8	8 जिला औषधि भण्डार के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
9	2 इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (आईपीएचएल) के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
10	15 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट (बीपीएचयू) के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
11	4 ट्रोमा सेन्टर के कार्य पूर्ण किया जाएगा।		
12	08 जन जातीय जिलों के 0-40 आयु वर्ग के 1.5 लाख जनजातीय नागरिकों की सिकल सैल एनीमिया स्क्रीनिंग प्रारम्भ कर सिकल सैल जेनेटिक काउंसलिंग आईडेंटिफिकेशन कार्ड वितरित किये जाएंगे।		
13	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों, आंगनबाडियों एवं मदरसों में लगभग 15 हजार स्क्रीनिंग सत्रों का आयोजन किया जाएगा।		
14	समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केन्द्रों (एचडब्ल्यूसी) का नाम परिवर्तन कर 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' अंकित किये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं सभी केन्द्रों पर वेलनेस गतिविधियां प्रारम्भ की जाएगी।		

15	गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत 100 राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों का राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय प्रमाणीकरण करवाया जाएगा।		
16	50 नवीन शहरी स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र (यूपयडब्ल्यूसी) प्रारम्भ किये जाएंगे।		
17	50 नये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे।		
18	राज्य के खाद्य कारोबारियों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित थैरेड, थ्रवक मिनजल जलपदपदह दक अतजपपिबंजपवदद्ध 300 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाएंगे।		
19	राज्य के आमजन को स्वस्थ एवं स्वच्छ खाद्य पदार्थ हेतु जागरूक करने, श्रीअन्न (मोटा अनाज-डपससमजे) की उपयोगिता हेतु जागरूक करने, चल खाद्य प्रयोगशाला, डेडजद्ध के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाने एवं खाद्य कारोबारकर्ताओं को मौके पर 300 खाद्य अनुज्ञा पत्र / रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किये जाएंगे।		
17	50 नये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र खोले जाएंगे।		
20	राज्य में खाद्य पदार्थ बेचने एवं खाने के विभिन्न स्थानों यथा 150 सरकारी विद्यालयों को मंज त्पहीज बीववसए 50 स्थानों को मंज त्पहीज डंचनेए 10 धार्मिक स्थानों को मंज त्पहीज ड्संभम वीवतीपचए 10 रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टण्ड को मंज त्पहीज जंजपवद के रूप में 40 मानकों पर मंज त्पहीज द्पजपंजपअम के अन्तर्गत प्रमाणित करवाया		

	जाएगा।		
21	1 करोड़ प्रधानमंत्री जन आयु योजना (पीएमजेएवाई) के पात्र सदस्यों की ईकेवाईसी का कार्य कर कार्ड डिजाइन फाइनल होते ही कार्ड प्रिंटिंग एवं वितरण का कार्य भी किया जाएगा। बारां जिले के सहरिया जनजाति के परिवारों का सर्वे कर ईकेवाईसी का कार्य पूर्ण करके वंजपबनसंतसल टनसदमतंडसम जत्पइंस ळतवनचे में 75000 चयनित व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा।		
22	164 वॉटलेटर (बसिक एवं एडवांस) की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल पर की जाएगी।		
23	350 डायलिसिस मशीन एवं 175 आर.ओ. सिस्टम की आपूर्ति 175 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।		
24	492 हाई पलो नैजल कैनूला मशीन की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/उपजिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।		
25	विभिन्न जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगभग 13000 नवीन फोम भैट्रेस की सप्लाई की जाएगी।		
26	500 एकजाभिनेशन लाइट्स की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/ उपजिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।		
27	2100 सेडियन्ट बार्नेर की आपूर्ति विभिन्न जिला अस्पताल/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर की जाएगी।		
28			

29	लिविड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति 43 विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पताल / जिला अस्पताल पर की जाएगी।		
30	13 सोनोग्राफी मशीनों की आपूर्ति विभिन्न 13 जिला अस्पतालों पर की जाएगी।		
31	02-02 कार्डियो टोकोग्राफी (सीटीजी) मशीनों की आपूर्ति आरबीएम जिला अस्पताल भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझनू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।		
32	06 कॉन्टेक्ट ब्लास्ट फीजर की आपूर्ति भीलवाड़ा, चूरु, उदयपुर, सीकर, अलवर एवं धौलपुर के जिला अस्पतालों में स्थित ब्लड बैंको पर की जाएगी।		
33	57000 पल्स ऑक्सीमीटर (फिंगर टिप) की आपूर्ति विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / केन्द्रीय भंडार गृह पर की जाएगी।		
31	02-02 कार्डियो टोकोग्राफी (सीटीजी) मशीनों की आपूर्ति आरबीएम जिला अस्पताल भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझनू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बीकानेर एवं 01 जयपुर-1 (कुल मात्रा 11) पर की जाएगी।		